न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 353/2023

अपीलाण्ट बनाम रेस्पोडेन्ट्स

1. वीणा देवी भूराणी पत्नी जगदीश कुमार भूराणी
2. तारादेवी भूराणी पत्नी विष्णु कुमार भूराणी, जाति सिन्धी, निवासीगण 20 गोल्फकोर्स स्कीम, जोधपुर
3. नरपतसिंह भाटी पुत्र ईश्वरसिंह भाटी, जाति राजपूत, निवासी निम्बा (मण्डाई) तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर

बनाम

1. चन्द्रप्रभा कंवर उर्फ चन्द्राकंवर पुत्री केशरसिंह पत्नी कमलसिंह
2. निरमल कंवर पुत्री केशरसिंह पत्नी प्रेमसिंह
3. संतोष कंवर पुत्री केशरसिंह पत्नी जालमसिंह, जाति राजपूत, निवासी आगोरिया तहसील शिव (बाडमेर)
4. मदनकंवर पुत्री केशरसिंह पत्नी चन्दनसिंह, जाति राजपूत निवासी मारूडी, तह0 व जिला बाडमेर
5. पदमाकंवर पुत्री केशरसिंह पत्नी स्वरूपसिंह जाति राजपूत निवासी मूलाना, तह0 फतेहगढ (जैसलमेर)

प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट–

6. ग्राम पंचायत बान्दरा जरिये सरपंच, तहसील व, जिला बाडमेर
7. रामादेवी पुत्री केशरसिंह जाति राजपूत, निवासी बान्दरा हाल निवासी कैलाश इन्टरनेशनल होटल के पीछे, बाडमेर
8. शांतिदेवी पत्नी देवीसिंह जाति जैन निवासी चौहटन जिला बाडमेर
9. ऑयल एण्ड नेचूरल गैस कोरपोरेशन लि0 बाडमेर
10. दयाराम पुत्र नेतमल जाति जैन निवासी सुन्दर नगर चौहटन (बाडमेर)
11. सवाईलाल पुत्र नेमीचन्द
12. भवानी पुत्र नेमीचन्द
13. लेखराज पुत्र नेमीचन्द
14. गौतमचन्द पुत्र नेमीचन्द जातियान सोनी निवासीगण टैंकर पाडा चौहटन जिला बाडमेर
15. इकरू खां पुत्र अरबाब खां जाति मुसलमान निवासी भभूते की ढाणी, तह0 चौहटन, जिला बाडमेर
16. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बाडमेर दिनांक 17.07.2023 राजस्व अपील स0 04/2022 अनवान चन्द्रप्रभा कंवर बनाम ग्रा0पं0 बान्दरा वगैरा

उपस्थित–

1. श्री सुगनमल परिहार, वकील अपीलांट्स
2. श्री लाधूराम पूनिया, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 15
4. शेष रेस्पो0 अनुपस्थित

राजस्व अपील संख्या 490/2023

अपीलाण्ट बनाम रेस्पोडेन्ट्स

अपीलाण्ट:

1. सवाईलाल पुत्र नेमीचन्द
2. भवानी पुत्र नेमीचन्द
3. लेखराम पुत्र नेमीचन्द
4. गौतम चन्द पुत्र नेमीचन्द

(जातियान सोनी, निवासी टेंकर पाडा, चौहटन, जिला बाडमेर)

रेस्पोडेन्ट्स:

1. चन्द्रप्रभा कंवर उर्फ चन्द्राकंवर पुत्री केशरसिंह पत्नी कमलसिंह
2. निरमल कंवर पुत्री केशरसिंह पत्नी प्रेमसिंह
3. संतोष कंवर पुत्री केशरसिंह पत्नी जालमसिंह, जाति राजपूत, निवासी आगोरिया तहसील शिव (बाडमेर)
4. मदनकंवर पुत्री केशरसिंह पत्नी चन्दनसिंह, जाति राजपूत निवासी मारूडी, तह0 व जिला बाडमेर
5. पदमाकंवर पुत्री केशरसिंह पत्नी स्वरूपसिंह जाति राजपूत निवासी मूलाना, तह0 फतेहगढ (जैसलमेर)
6. ऑयल एण्ड नेचूरल गैस कोरपोरेशन लि0 बाडमेर
7. ग्राम पंचायत बान्दरा जरिये सरपंच, तहसील व जिला बाडमेर
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बाडमेर दिनांक 17.07.2023 राजस्व अपील सं0 04/2022 अनवान चन्द्रप्रभा कंवर बनाम ग्रा0पं0 बान्दरा वगैरा

उपस्थित–

1. श्री सुगनमल परिहार, वकील अपीलांट्स
2. श्री लाधूराम पूनिया, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 8
4. शेष रेस्पो0 अनुपस्थित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

निर्णय

दिनांक 24.10.24

उपरोक्त दोनो अपील प्रकरणों के पक्षकार एवं तथ्य एक समान होने से दोनों ही अपीलें एक ही संयुक्त निर्णय द्वारा निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उपरोक्त अपीलें राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व प्रथम अपील सं0 04/2022 अनवान चन्द्रप्रभा कंवर बनाम ग्रा0पं0 बान्दरा वगैरा में पारित आदेश दिनांक 17.07.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 5–अपीलांट्स ने राजस्व अपील इस आशय से प्रस्तुत की गई कि तहसील बाडमेर स्थित राजस्व ग्राम सांसीयों की बस्ती के खसरा नं0 548/5 रकबा 75 बीघा भूमि केशरसिंह पुत्र शम्भुसिंह सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज थी। जिसका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 28 दिनांक 05.08.1988 को हल्का पटवारी द्वारा रेस्पो0सं0 1 से 5–अपीलांट्स (चन्द्रप्रभा, निरमल कंवर, मदन कंवर, संतोष कंवर, पदमा कंवर पुत्री केशरसिंह) एवं रेस्पो0–रामादेवी पत्नी केशरसिंह के नाम भरा गया, जिसे सरपंच ग्राम पंचायत बान्दरा द्वारा दिनांक 11.07.1998 को मात्र रामादेवी पत्नी केशरसिंह के नाम स्वीकृत किया गया। वक्त स्वीकृत नामान्तरकरण रेस्पो0–अपीलांट्स सभी नाबालिग थे तथा अपनी माता प्रत्यथी–रामादेवी के साथ ही रहते थे। उक्त नामान्तरकरण में स्व0 केशरसिंह की जायन्दा पुत्रियों को मुसम्मी केशर सिंह के वारिसान में शामिल नही किया गया व केवल उनकी माता–रामादेवी के नाम पारित कर दिया गया। कुछ अर्सा पूर्व रेस्पो0–ऑयल एण्ड नेचूरल गैस कॉरपोरेशन लि0 बाडमेर द्वारा अपीलाधीन आराजी में खुदाई का कार्य प्रारम्भ करने पर इसके बेचान की जानकारी होने पर जानकारी की तारीख से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपीलाधीन ना0क0सं0 28 दिनांक 05.08.1988 को निरस्त

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

कर, प्रकरण तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को वादग्रस्त खसरा नं0 548/5 रकबा 75 बीघा भूमि के उल्लेखित वर्तमान खसरा नं0 954/548, 978/548, 983/548, 984/548, 985/548, 881/548, 979/548 की उल्लेखित रकबा भूमि में केशरसिंह पुत्र शम्भुसिंह के वारिसान की जांच कर नये सिरे से रेस्पो0–ऑयल एण्ड नेचूरल गैस कॉरपोरेशन लि0 बाडमेर को छोड़कर विधिसम्मत नामान्तरकरण पारित करने तथा तद्नुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन करने हेतु आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स–रेस्पो0सं0 5 व 11, 12 तथा 7 से 10 ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत कमशः पृथक–पृथक उक्त दो अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपील सं0 490/2023 प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अपील की सुनवाई का नोटिस नही दिया गया और ना ही उन्हें कोई नोटिस मिला। अपीलाधीन आदेश व पत्रावली की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि रेस्पो0 के सम्मन किसी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये गये, जो बाडमेर शहर से बाहर नही जाता है। अपील सं0 353/2023 के अपीलार्थी सं0 1 व 2 जोधपुर तथा 3 फतेहगढ के निवासी है। जहां पर उक्त समाचार पत्र को वितरण नही होता है। रेस्पो0सं0 1 से 5–अपीलांट्स ने जानबूझ कर ऐसे समाचार पत्र में नोटिस का प्रकाशन करवाया गया, जिससे संबंधित पक्षकारों को इसकी जानकारी नही हो सके।

अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 28 दिनांक 05.08.1988 के विरूद्ध प्रथम अपील वर्ष 2022 में 34 वर्ष बाद पेश की गई एवं धारा 05 मियाद अधि0 का प्रार्थना मिथ्या कथनो पर आधारित था, ऐसे काल्पनिक कारणों के आधार पर विलंब को क्षमा नही किया जा सकता है। स्वयं रेस्पो0सं0 1 से 5 यह जानती थी कि वादग्रस्त

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

भूमि का हस्तांतरण वर्षो पूर्व कर दिया गया है एवं भूमि ONGC के लिए वर्षो पूर्व अवाप्त कर मुआवजा वितरित कर दिया गया है। रेस्पो0 को उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी के उपरांत सद्भावित केतागणों को प्रताडित करने के उद्धेश्य से अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर निर्णित कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में ONGC को भी पक्षकार बनाया गया था, जिनके विरूद्ध स्वयं रेस्पो0–अपीलांट ने अपील विड्रो कर ली। वादग्रस्त भूमि की अवाप्ति ना0क0सं0 28 स्वीकृत होने के बाद वर्ष 2008 में की गई थी। एक पक्षकार के विरूद्ध अपील विड्रो करने के पश्चात शेष रेस्पो0 के विरूद्ध अपील नही चल सकती है।

वस्तुतः मृतक खातेदार केशरसिंह की धर्मपत्नी रामादेवी द्वारा अपनी पुत्रियों की सहमति से परिवार की जायद आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों का वर्षो पूर्व हस्तांतरण कर दिया गया। हस्तांतरण के उपरांत केतागण काबिज एवं काश्त है तथा कुछ मामलों में तो एक से अधिक बार उत्तरोत्तर बेचान/हस्तांतरण भी हो चुका है।

इसके अलावा अपीलाधीन आदेश एवं आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मूल ना0क0सं0 28 एवं उससे संबंधित अभिलेख तलब किए बिना ही रेस्पो0–ONGC के अलावा शेष रेस्पो0 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर अपील का निर्णय कर दिया गया, जो कानून के आदेशात्मक प्रावधानों का उलंगन है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में वादग्रस्त भूमि के पंजीबद्ध बेचान दस्तावेजों में से कुछ निम्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की गई –

i. रामादेवी पत्नी केशरसिंह बहक केता–हंसराज सोनी पुत्र दुर्गादास ख0नं0 881/548 रकबा 56.15 बीघा में से 20 बीघा जरिये पंजीबद्ध बेचान उप पंजियक बाडमेर दिनांक 9.12.10

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

ii. रामादेवी पत्नी केशरसिंह बहक केता–इकरू पुत्र अरबाब ख0नं0 881/548 रकबा 27.15 बीघा में से 7 बीघा जरिये पंजीबद्ध बेचान उप पंजियक बाडमेर दिनांक 10.912

iii. रामादेवी पत्नी केशरसिंह बहक केता–सवाईलाल, भवानी, लेखराज, गौतमचन्द ख0नं0 979/548 रकबा 9 बीघा में से 4 बीघा जरिये पंजीबद्ध बेचान उप पंजियक बाडमेर दिनांक 10.9.12

iv. रामादेवी पत्नी केशरसिंह बहक केता–देवाराम पुत्र जीयाराम ख0नं0 881/548 रकबा 27.15 बीघा में से 20.15 बीघा जरिये पंजीबद्ध बेचान उप पंजियक बाडमेर दिनांक 10.9.12

v. बलवंतसिंह पुत्र इन्द्रसिंह बहक केता–इकरू पुत्र अरबाब ख0नं0 862/548 रकबा 20.03 बीघा व ख0नं0 1099/548 रकबा 17.18 बीघा, कुल हिस्सा 1/2 में से 12 बीघा जरिये पंजीबद्ध बेचान उप पंजियक बाडमेर दिनांक 8.8.12

vi. देवाराम पुत्र जीयाराम बहक केता–नरपतसिंह भाटी ख0नं0 881/548 रकबा 17.15 बीघा सम्पूर्ण जरिये पंजीबद्ध बेचान उप पंजियक बाडमेर दिनांक 4.7.14

vii. इकरू पुत्र अरबाब बहक केता–वीणादेवी पत्नी जगदीश कुमार भूराणी ख0नं0 862/548 रकबा 20.03 बीघा व ख0नं0 1099/548 रकबा 17.18 बीघा में से कुल हिस्सा अनुसार 6 बीघा जरिये पंजीबद्ध बेचान उप पंजियक बाडमेर दिनांक 30.01.15

जवाब मे रेस्पो0 सं0 1 से 5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि तहसील बाडमेर स्थित राजस्व ग्राम सांसीयों की बस्ती के खसरा नं0 548/5 रकबा 75 बीघा भूमि केशरसिंह पुत्र शम्भुसिंह सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज थी। जिसका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 28 दिनांक 05.08.1988 को हल्का पटवारी द्वारा रेस्पो0सं0 1 से 5–अपीलांट्स (चन्द्रप्रभा, निरमल कंवर, मदन कंवर, संतोष कंवर, पदमा कंवर पुत्री केशरसिंह) एवं रेस्पो0–रामादेवी पत्नी केशरसिंह के नाम भरा गया, जिसे सरपंच ग्राम पंचायत बान्दरा द्वारा दिनांक 11.07.1998 को केवल मात्र रामादेवी पत्नी केशरसिंह के नाम स्वीकृत किया गया। वक्त स्वीकृत नामान्तरकरण रेस्पो0–अपीलांट्स सभी नाबालिग थे तथा अपनी माता प्रत्यर्थी–रामादेवी के साथ ही रहते थे। उक्त नामान्तरकरण में स्व0 केशरसिंह की जायन्दा पुत्रियों को मुसम्मी केशरसिंह के वारिसान में शामिल नही किया गया व

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

केवल उनकी माता—रामादेवी के नाम पारित कर दिया गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 व राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार अपीलांट वैद्य एवं विधिक वारिस होने से रेस्पो0—अपीलांट्स के नाम नामान्तरकरण पारित किया जाना चाहिए था। रेस्पो0—रामादेवी द्वारा वादगस्त भूमि का अलग—अलग बेचान कर खरीददारों को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया।

रेस्पो0—ऑयल एण्ड नेचूरल गैस कॉरपोरेशन लि0 बाडमेर द्वारा अपीलाधीन आराजी में खुदाई का कार्य प्रारम्भ करने पर इसके बेचान की जानकारी होने पर जानकारी की तारीख से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपीलाधीन ना0क0सं0 28 दिनांक 05.08.1988 को निरस्त कर, प्रकरण तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को वादग्रस्त खसरा नं0 548 / 5 रकबा 75 बीघा भूमि के उल्लेखित वर्तमान खसरा नं0 954 / 548, 978 / 548, 983 / 548, 984 / 548, 985 / 548, 881 / 548, 979 / 548 की उल्लेखित रकबा भूमि में केशरसिंह पुत्र शम्भुसिंह के वारिसान की जांच कर नये सिरे से रेस्पो0—ऑयल एण्ड नेचूरल गैस कॉरपोरेशन लि0 बाडमेर को छोड़कर विधिसम्मत नामान्तरकरण पारित करने तथा तद्नुसार वर्तमान अभिलेख में आवश्यक संशोधन करने हेतु आदेशित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से अपील अपीलांट खारिज कर, अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि :—

I. तहसील बाडमेर स्थित राजस्व ग्राम सांसीयों की बस्ती के खसरा नं0 548 / 5 रकबा 75 बीघा भूमि केशरसिंह पुत्र शम्भुसिंह सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज थी। जिसका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 28 दिनांक 05.08.1988 को हल्का पटवारी द्वारा रेस्पो0सं0 1 से 5—अपीलांट्स (चन्द्रप्रभा, निरमल कंवर, मदन कंवर, संतोष कंवर, पदमा कंवर पुत्री केशरसिंह) एवं रेस्पो0—रामादेवी पत्नी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

केशरसिंह के नाम भरा गया, जिसे सरपंच ग्राम पंचायत बान्दरा द्वारा दिनांक 11.07.1998 को मात्र रामादेवी पत्नी केशरसिंह के नाम स्वीकृत किया गया।

II. रेस्पो0सं0 1 से 5–अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में स्वयं यह कथन किया है कि वक्त स्वीकृत नामान्तरकरण रेस्पो0–अपीलांट्स सभी नाबालिग थी तथा अपनी माता प्रत्यथी–रामादेवी के साथ ही रहती थी।

III. भूमि अवाप्ति अधिकारी (ओ.एन.जी.सी.एल.) बाडमेर के प्रकरण सं0 235/2008 फेज III हितधारी/खातेदार रामादेवी पत्नी केशरसिंह ख0नं0 881/548 अवाप्त रकबा 12.05 का अंतिम समझौता अवार्ड दिनांक 11.11.2009 को जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील में ONGC को भी पक्षकार बनाया गया था। प्रकरण में ONGC को प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र की सुनवाई उपरांत दिनांक 6.4.22 की आदेशिका अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं0 4–ONGC की अवाप्तसुदा भूमि ख0नं0 975/548 में पूर्व पारित स्थगन को निष्प्रभावी किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 5 द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर में प्रस्तुत निगरानी एल.आर.ए. संख्या 2530/2022 बाडमेर में पारित आदेश दिनांक 7.12.22 के अनुसार वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रस्तुत निगरानी 'नोट प्रेस' में खारिज की गई।

IV. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय के अंतिम पृष्ठ के पैरा सं0 2 व 3 में भूमि अवाप्ति अधिकारी (ओ.एन.जी.सी.एल.) बाडमेर के प्रकरण सं0 235/2008 में अवाप्तसुदा भूमि ख0नं0 975/548 का नामान्तरकरण ONGC के नाम पारित हो जाने से प्रत्यथी सं0 4–ONGC को छोड़कर (अबेट) शेष वादग्रस्त भूमि के अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 28 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को स्व0 केशरसिंह के वारिशान की जांच कर नये सिरे नामान्तरकरण पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जबकि शेष वादग्रस्त भूमि में हुए पंजीबद्ध बेचान दस्तावेजों को निरस्त करने अथवा उनके आधार पर पारित नामान्तरकरणों को अस्वीकृत करने का अधिकार राजस्व/अधीनस्थ न्यायालय की अधिकारिता में नही है। इस लिहाज से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

मियाद बाधित अपील को बिना किसी ठोस कारण अथवा आधार के अन्दर मियाद शुमार कर, वादग्रस्त भूमि में हुए उत्तरोत्तर पंजीबद्ध बेचानों के विरूद्ध अपीलाधीन जैर नामान्तरकरण सं0 28 को निरस्त कर दिया जाना विधिविरूद्ध एवं पक्षकारों में अनावश्यक वैर/विरोध तथा वाद को बढावा देना साबित करता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य पायी जाने से तदनुसार स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व प्रथम अपील संख्या 04/2022 अनवान चन्द्रप्रभा कंवर व अन्य बनाम ग्रा0पं0 बान्दरा वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2023 को अपास्त कर, अपीलाधीन जैर नामान्तरकरण संख्या 28 दिनांक 11.07.1998 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.10.24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

24.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर